सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 526 राँची ,गुरुवार

24 आश्विन 1936 (श०)

16 अक्टूबर, 2014 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

14 अक्टूबर, 2014

विषय: झारखण्ड राज्य के वैसे निजी अस्पताल/नर्सिंग होम/ पोलीक्लिनिक आदि जिसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता यथा लीज पर भूमि/कम दर पर भूमि/नि:शुल्क अथवा कम दर पर भवन/करों में छूट आदि राज्य सरकार द्वारा दी गई है, गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार के सदस्यों के लिए अंत:वासी मरीज के लिए 10% शयया एवं बर्हिवासी मरीज के लिए 25% लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या- स्वा0 निदे0 वि0 को0-98/2013-266(13)--1. दिनांक-30 सितम्बर, 2014 को मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या-41 के आलोक में राज्य अन्तर्गत वैसे सभी निजी अस्पताल/नर्सिंग होम/पोलीक्लिनिक जिसे किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता यथा लीज पर भूमि देना/कम राशि पर भूमि देना/करों में छूट देना/नि:शुल्क अथवा कम दर पर भवन उपलब्ध कराना/अनुदान उपलब्ध कराना आदि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है अथवा भविष्य में उपलब्ध कराया जायेगा, में बी0पी0एल0 मरीजों के नि:शुल्क ईलाज हेतु IPD में 10% शयया एवं OPD में 25% लोगों के लिए आरक्षित किये जाने की स्वीकृति दी गई है।

2. यह सुविधा सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा रेफर किये गये बी0पी0एल0 मरीजों को ही प्राप्त होगा जिसके लिए संबंधित अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी पदाधिकारी अधिकृत होंगे।

3. यह सुविधा केवल वैसे ही निजी अस्पताल/नर्सिंग होम/पोलीक्लिनिक में उपलब्ध होगा जो Clinical Establishment (Registration & Regulation) Act, 2010 के अन्तर्गत पंजीकृत होगा।

4. सभी निजी अस्पताल/नर्सिंग होम/पोलीक्लिनिक इस कार्य के लिए एक-एक नोडल पदाधिकारी मनोनीत करेंगे जो रेफर किये गये मरीजों के उक्त संस्थान में आने से लेकर ईलाज के पश्चात् वापस जाने तक का पूर्ण ब्यौरा संधारित करेंगे एवं प्रत्येक माह सिविल सर्जन एवं रेफर करने वाले पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे।

5. एक से दो माह में विषयवस्तु के संबंध में विस्तृत नीति तैयार किया जायेगा।

6. पूर्व से जो अस्पताल, नर्सिंग होम, पोलिक्लिनिक जिनको कोई वित्तीय सहायता, लीज पर भूमि या कम दर पर भूमि अथवा नि:शुल्क भूमि कम दर पर भवन कर आदि की छूट उपलब्ध हुई है, उनको 15 दिनों में सूचीबद्ध कर बी0पी0एल0 परिवारों के अनुरूप चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बी0 के0 त्रिपाठी,
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 526–50 ।